न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 26/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
दीपाराम पुत्र वेनाराम जाति भील साकिन बासड़ाभोजा तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. जबराराम पुत्र करमीराम जाति पूरोहित निवासी चितरोड़ी तहसील रानीवाडा 2. लीलाराम पुत्र करमीराम जाति पूरोहित निवासी चितरोडी तहसील रानीवाडा 3. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा थान माताजी 4. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री आदूराम चौधरी
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जबराराम पूरोहित
3. अप्रार्थी संख्या 4 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

निर्णय

दिनांक – 04.10.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा बासड़ाभोजा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नं. 750/72 रकबा 0.72 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम की आयी हुई है। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी आराजी खसरा नं. 750/72 रकबा 0.72 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम में आने–जाने हेतु कोई वैकल्पिक या रेकर्डेड रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते के अभाव में मेरी आराजी में काश्त करने व कृषि उपकरण व साधन लाने ले जाने में भारी कठिनाई आ रही है। इस कारण सही रूप से काश्त भी नहीं कर पा रहा हूॅ। मेरे उक्त आराजी में आवागमन हेतु रास्ते की पूर्ण रूप से आवश्यकता है। कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं होने से प्रार्थी की आराजी खसरा नं. 750/72 रकबा 0.72 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम में आवागमन हेतु निकटतम दूरी से रास्ता दिलवाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अदालत के आदेशानुसार मुझ प्रार्थी को दिये जाने वाले रास्ते की आराजी के खातेदारों को उचित मुआवजा देने हेतु तैयार हूॅ।

   अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि मौजा बासड़ाभोजा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर के नवीन खसरा नं. 750/72 रकबा 0.72 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम में आवगमन हेतु निकटतम दूरी से रास्ता दिलवाने हेतु मौका रिपोर्ट तलब कर प्रभावित खातेदारों को पक्षकार बनाकर रास्ता दिलवाने के आदेश फरमावे।

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रानीवाडा से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा मौका रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी दीपाराम पुत्र वेनाराम भील

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 18:30:11 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 750/72, रकबा 0.72, के खातेदार है। इन खसरों में पहुचने के लिए कोई मार्ग नहीं है, एवं इन्हे मार्ग के अत्याधिक आवश्यकता है। उपरोक्त खसरा नम्बर 750/72, के आवागमन हेतु नजदीकतम मार्ग सरकारी रेकर्ड रास्ता खसरा नम्बर 223/619 रकबा 0.64 गेर मुमकिन मोके पर पक्की सड़क है। बिन्दू संख्या 1 के खसरो हेतू प्रस्तावित रास्ता के मध्य आने वाले खसरा 71 व 70/638 है। खसरा नम्बर 751/72 रकबा 0.10 हेक्टेयर पूर्व में सरेंडर है। प्रस्तावित मार्ग लम्बाई खसरा नंबर 70/638 में 80 मीटर व चौड़ाई 5 व खसरा नम्बर 71 में लंबाई 160 मीटर एवं चौड़ाई 5 मीटर कुल 1200 वर्गमीटर अर्थात् 0.12 हेक्टेयर है। इनकी वर्तमान डी.एल.सी दर 513850 प्रति हैक्टेयर हे, जिसकी कुल प्रति कर राशि 61662 की दुगुनी राशि 123324 रूपये बनती है।प्रस्तावित मार्ग में अन्य कोई संरचना यथा वृक्षादि/पहाड़ नाड़ी नहीं है।

3. प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता तहसीलदार रानीवाडा की रिपोर्ट अनुसार पक्षकार संयोजित कर धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया।
4. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा ईकबालिया जवाब पेश किया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी को मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना उचित हैं, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कोई उजर एतराज नहीं है। प्रार्थी को उक्तानुसार रास्ते हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी से किसी भी प्रकार का प्रतिकर लेना नहीं चाहते हैं तथा प्रार्थी से किसी भी प्रकार का प्रतिकर लेना नहीं चाहते हैं।

   अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी से किसी भी प्रकार का प्रतिकर नहीं लेना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी की आराजी में आवागमन हेतु रास्ता दिये जाने के आदेश फरमावे।
5. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 750/72 में से आवागमन हेतु नजदीकतम दूरी खसरा नम्बर खसरा 71 व 70/638 में से रास्ता दिये जाने का न्यायहित में आदेश फरमावें। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि हमारी आराजी में से हम प्रार्थी को मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा 71 व 70/638 में बिना प्रतिकर लिये तहसीलदार रानीवाडा की मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता देने हेतु सहमत है।
6. हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी की आराजी मौजा बासडाभोजा में खेत खसरा नम्बर 750/72 रकबा 0.72 हैक्टेयर मौजा बासडाभोजा की जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 250 में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी मौजा बासडाभोजा के खाता संख्या 47 में खसरा नम्बर 70/638 रकबा 0.04 व खसरा नम्बर 71 रकबा 3.99 हैक्टेयर है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी आराजी में से रास्ते बिना प्रतिकर राशि लिये दिये जाने का जवाब व बहस में बताया गया है। उक्त आराजी के पास सरकारी आराजी खसरा नम्बर 223/619 रकबा 0.64 हैक्टेयर किस्म गै.मू. है। जिस पर मौके पर पक्की सडक है। अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार रानीवाडा की ओर से जवाब के अनुसार खसरा नम्बर 70/638 व 71 के अलावा कोई रास्ता नजदीकतम नही बताया गया है। व प्रार्थी के रास्ते की लम्बाई खसरा नम्बर 70/638 में 80 मीटर व खसरा नम्बर 71 में 160 मीटर तथा चौडाई 5 मीटर कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गमीटर होगा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 18:30:11 IST
Reason: SelfAttested

जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 दर 513850 रूपये प्रति हैक्टेयर है। उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

—: आदेश :—

7. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के खसरा नम्बर 750/72 में से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 70/638 व 71 मे सें रास्ता दिया जाता है। जिससे रास्ते की लम्बाई खसरा नम्बर 70/638 में 80 मीटर व खसरा नम्बर 71 में 160 मीटर तथा चौडाई 5 मीटर कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गमीटर है। जो आगे सरकारी खसरा नम्बर 2232/619 से जोडता है। जिस पर वर्तमान में पक्की सडक बनी हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा रास्ते देने हेतु बिना प्रतिकर राशि प्राप्त किये रास्ते देने पर अपनी सहमति दी गई है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार की प्रतिकर राशि का भुगतान नही किया जायेगा। तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अपने जवाब मे प्रस्तुत राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से मार्क लम्बाई 240 मीटर व चौडाई 5 कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गमीटर का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करें तथा उक्त रास्ते की नक्शा लट्ठा मे तरमीम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा को पालना हेतु भेजी जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 18:30:11 IST
Reason: SelfAttested